HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 548/2023
CNR: RJHC020343452023 | URN: CRLR / 1047U / 2023

Hari Singh @ Rohitash Son Of Shri Mewaram, Aged About 23 Years, R/o Gilo Ki Dhani, Gram Panchayat Ladpura, Police Station Khatushyamji, District Sikar (Raj)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Madan Lal Sheshma Son Of Shri Kanaram Sheshma, Resident Of Ladpur Police Station Khatushyamji District Sikar

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Hem Singh
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

06/08/2026

याची/अभियुक्त की ओर से यह निगरानी याचिका, विचारण न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम–2, सीकर द्वारा विशिष्ट सी.आई.एस. प्रकरण संख्या–**39/2023** में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **05.04.2023**, जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 342, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप विरचित किये गये थे, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा भा.दं.सं. की धारा 363, 354, 342 भा0दं0स0 एवं धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2023 को इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा याची/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 342, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिए हैं। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता व धारा 5/6 पोस्को एक्ट की कोई साक्ष्य नहीं होते हुए भी उक्त आरोप विरचित किए गए हैं, जिसके संबंध में प्रसंज्ञान आदेश ही पारित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2023 को अपास्त कर, याची/अभियुक्त को विरचित अपराधों से उन्मोचित (Dis-charge) किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों के संबंध में कुछ साक्ष्य प्रकट हुई है। उनका यह भी निवेदन है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा भा.दं.सं. की धारा 363, 354, 342 भा0दं0स0 एवं धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है, अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र, विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 17.01.2023 एवं आरोप विरचित किए जाने बाबत् आलौच्य आदेश दिनांक 05.04.2023 का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि

विचारण न्यायालय द्वारा याची/अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों के संबंध में स्पष्ट एवं सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में योग्य अधिवक्ता याची द्वारा प्रस्तुत तर्कों, विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.04.2023, को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को पत्रावली प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए, इस आदेश से प्रभावित हुए बिना, याची/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के संबंध में नये सिरे से सकारण, स्पष्ट एवं विधिसम्मत आदेश पारित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह निगरानी याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किए जाते हैं।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/116